क्रमांकः जविप्रा/अति.मु.न.नि./मा.प्लान./2022/डी– 45 दिनांक 28-1-22

अधिसूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत एवं दिनांक 06.09.2011 से प्रभावी जयपुर रीजन मास्टर विकास योजना–2025 तथा दिनांक 04.06.2018 से प्रभावी जोनल विकास योजना–08 व जोनल विकास योजना–14 में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित है।

प्रस्तावित उपान्तरण

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा ग्राम सिरोली, तहसील सांगानेर, जिला–जयपुर में 329.17 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना विकसित किये जाने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 27 के तहत दिनांक 12.08.2010 को तथा केन्दीय्र भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 4(1) के अन्तर्गत दिनांक 09.09.2011 को अधिसूचना जारी किये जाने के फलस्वरूप मास्टर विकास योजना–2025 एवं जोनल विकास योजना–08 एवं 14 में राजस्थान आवासन मण्डल की ग्राम सिरोली की अवाप्तशुदा भूमि (कमिटमेंट के आधार पर) का भू–उपयोग पब्लिक–सेमीपब्लिक (रिक्रियेशनल, इकोलाजिकल एवं वॉटर–बॉडी उपयोग को यथावत रखते हुए) से आवासीय किया जाना प्रस्तावित है।

कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था राजस्थान राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन तिथि से अथवा किन्हीं दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि से, जो भी पहले हो, 30 दिवस की कालावधि के भीतर उपरोक्त उपान्तरण/संशोधन के संबंध में आपत्ति/सुझाव अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। उक्त प्रस्ताव का मानचित्र जविप्रा के नोटिस बोर्ड पर तथा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) शाखा में देखे जा सकते है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 28.01.2022 को जारी की गई। उक्त विज्ञप्ति राज्य के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात एवं राजस्थान राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

(उज्ज्वल राठौड़)
सचिव
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक (अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि / परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
7. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व / पश्चिम / भूमि / एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान / बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक (मा.प्लान / एल.पी. / प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14 एवं पी.आर.एन (उत्तर–I, II / दक्षिण–I,II), जविप्रा, जयपुर।
11. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर।
12. लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर को भेजकर कर लेख है कि अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जानी है, इस हेतु नियमानुसार एक पृष्ठ(के लिए रूपये 2541/– का डी.डी. इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावे, जिससे उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा सके।
13. उप निदेशक (जनसंपर्क), जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि दो प्रमुख दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की दो–दो प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करावें।
14. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
15. नोटिस बोर्ड

28/11/22

(गोपाल लाल सैनी)
अति.मुख्य नगर नियोजक, (मा.प्लान),
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।